



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 901] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 17, 2018/अग्रहायण 26, 1940

No. 901] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 17, 2018/AGRAHAYANA 26, 1940

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 17 दिसम्बर, 2018

सं. फेमा. 3(आर)/ 2018-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधार लेना तथा उधार देना) विनियमावली, 2018

सा.का.नि. 1213(अ).— विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (ए), (डी) तथा (ई) और धारा- 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा समय-समय पर संशोधित दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.3/2000-आरबी, समय-समय पर संशोधित दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.4/2000-आरबी तथा समय-समय पर संशोधित दिनांक 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं. फेमा. 120/ आरबी-2004 के विनियम 21 का अधिक्रमण करते हुए रिज़र्व बैंक भारत में निवास करने वाले व्यक्ति तथा भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों के बीच उधार लेने तथा उधार देने के संबंध में निम्नलिखित विनियम बनाता है; अर्थात:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

- ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधार लेना तथा उधार देना) विनियमावली, 2018 कहलाएंगे।
- वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ :-

इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

- "अधिनियम" का तात्पर्य विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) से है;

- ii) "प्राधिकृत व्यापारी (एडी)" का तात्पर्य अधिनियम की धारा-10 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्राधिकृत व्यापारी के रूप में प्राधिकृत किये गए व्यक्ति से है;
- iii) "ईईएफसी खाता", "आरएफसी खाता" के अर्थ क्रमशः वही होंगे, जो समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015 में उन्हें दिए गए हैं ;
- iv) "बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)" अर्थात्-रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार के परामर्श से, निर्धारित किए गए ढांचे के अनुसार पात्र निवासी संस्था द्वारा भारत के बाहर से लिया हुआ उधार;
- v) "बाह्य वाणिज्यिक ऋण (ईसीएल)" का अर्थ रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार के परामर्श से, निर्धारित किए गए ढांचे के अनुसार भारत में निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर के उधारकर्ता को उधार देना;
- vi) "विदेशी मुद्रा" का अर्थ वही होगा जो अधिनियम में दिया गया है;
- vii) "भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाएँ/ अनुषंगी कंपनियाँ" का अर्थ है बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसार विदेश में स्थापित संस्थाएं;
- viii) "प्राधिकृत बैंक", "अनिवासी भारतीय(एनआरआई)", "विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाता(एफसीएनआर)(बी)", "अनिवासी साधारण(एनआरओ) खाता", तथा "अनिवासी बाह्य (एनआरई) खाता" के वही अर्थ होंगे जो उन्हें समय-समय पर यथा संशोधित विदेशी मुद्रा (जमा) विनियमावली, 2016 में क्रमशः दिए गए हैं;
- ix) "आवास वित्त संस्था" तथा "राष्ट्रीय आवास बैंक" का अर्थ वही होगा जो उन्हें समय-समय पर यथासंशोधित राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 में दिया गया है;
- x) "भारतीय संस्था (एंटीटी)" का अर्थ समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत भारत में निगमित कंपनी अथवा समय-समय पर यथासंशोधित सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत भारत में निर्मित तथा पंजीकृत की गई कोई सीमित देयता भागीदारी है।
- xi) "प्रवासी भारतीय नागरिक (ओ.सी.आई.)" कार्ड-धारक का अर्थ वही होगा जो समय-समय पर यथासंशोधित नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7(ए) में उसे दिया गया है;
- xii) "रियल इस्टेट गतिविधि" में ऐसी कोई भी गतिविधि, जिसमें अपने स्वामित्ववाली अथवा लीज़ पर ली हुई संपत्ति की खरीद, बिक्री तथा वाणिज्यिक एवं आवासीय सम्पत्तियों अथवा जमीन को किराए पर देना शामिल है तथा रियल इस्टेट की खरीद, बिक्री, उसे किराए पर देना अथवा उसके प्रबंधन हेतु मध्यस्थता के लिए शुल्क अथवा करार आधार पर किसी एजेंट को सौंपने संबंधी गतिविधियां भी शामिल हैं। तथापि, इसमें एकीकृत टाउनशिप का विकास, नयी परियोजना/ आधुनिकीकरण अथवा मौजूदा इकाइयों के विस्तार हेतु औद्योगिक भूमि की खरीद/दीर्घकालिक लीज़िंग अथवा समय-समय पर संशोधित/ अद्यतन की गई अधिसूचना एफ़. सं. 13/06/2009-आईएनएफ़ के माध्यम से भारत सरकार द्वारा अनुमोदित इन्फ्रास्ट्रक्चर उप-क्षेत्र की सुसंगत मास्टर सूची में दिये गए "इन्फ्रास्ट्रक्चर उप-क्षेत्र" के अंतर्गत आनेवाली कोई भी गतिविधि शामिल नहीं होगी;
- xiii) "रिश्वेदार" का अर्थ वही होगा, जो समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 में दिया गया है;
- xiv) "प्रतिबंधित अंतिम उपयोग" का तात्पर्य ऐसे अंतिम उपयोग से है, जहां उधार ली गई निधियों का विनियोजन नहीं किया जा सकता है और उसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:
- ए) चिट फंड या निधि कंपनी के कारोबार में;
- बी) मार्जिन ट्रेडिंग और डेरिवेटिव सहित पूंजी बाजार में निवेश;
- सी) कृषि अथवा वृक्षारोपण गतिविधियां;
- डी) रियल इस्टेट गतिविधियों या फार्म-हाउसों का निर्माण; तथा

ई) हस्तांतरणीय विकास सत्वाधिकार (टीडीआर) में व्यापार, जहां टीडीआर का अर्थ वही होगा जो उसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन (अनुमेय पूंजी खातेगत लेनदेन) विनियमावली, 2015 में दिया गया है।

- xv) "अनुसूची" का अर्थ इस विनियमावली की अनुसूची है;
- xvi) "स्टार्ट-अप" अर्थात एक ऐसी संस्था, जो 17 फरवरी, 2016 को औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एवं समय समय पर यथा संशोधित/ अद्यतन की गई अधिसूचना सं.जी.एस.आर.180 (ई) में निर्धारित शर्तों का अनुपालन करती है;
- xvii) "व्यापार ऋण" भारत सरकार के परामर्श से निर्धारित किए गए व्यापार ऋण ढांचे के अनुसार भारत में आयात के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ता, बैंक / वित्तीय संस्थान द्वारा प्रदान किए गए ऋण हैं;

स्पष्टीकरण: वित्त के स्रोत के आधार पर, इस तरह के व्यापार ऋण में आपूर्तिकर्ताओं के ऋण और खरीदारों के ऋण शामिल हैं। आपूर्तिकर्ता का ऋण विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा भारत में आयात के लिए दिए गए ऋण से संबंधित है, जबकि खरीदारों का ऋण किसी विदेशी बैंक या वित्तीय संस्थान से आयातक द्वारा भारत में आयात के भुगतान हेतु की गई ऋण की व्यवस्था को संदर्भित करता है। यह आयात विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की मौजूदा विदेश व्यापार नीति के तहत अनुमत होना चाहिए।

- xviii) इस विनियमावली में उपयोग किए गए किन्तु परिभाषित न किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ क्रमशः वही होगा, जो अधिनियम में उन्हें दिया गया है;

3. उधार देने अथवा लेने पर प्रतिबंध

अधिनियम, नियम या विनियमन में दिये गए प्रावधानों के अलावा भारत में निवासी कोई व्यक्ति भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति से विदेशी मुद्रा में न तो उधार लेगा और न ही निवासी अथवा अनिवासी को उधार देगा और भारत में निवासी कोई व्यक्ति भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति से रुपये में न तो उधार लेगा और न ही उधार देगा;

बशर्ते कि रिज़र्व बैंक भारत में निवासी किसी व्यक्ति को भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति से विदेशी मुद्रा में उधार लेने अथवा निवासी या अनिवासी को उधार देने हेतु और/अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति से रुपये में उधार लेने अथवा देने के लिए, पर्याप्त कारण दिये जाने पर, अनुमति दे सकता है।

स्पष्टीकरण: (ए) भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा भारत में अथवा (बी) भारत के निवासी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किए गए क्रेडिट कार्ड के उपयोग को भारतीय रुपयों में / विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा उधार देना नहीं माना जाएगा।

4. भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर से विदेशी मुद्रा में लिया गया उधार

ए. प्राधिकृत व्यापारियों अथवा उनकी भारत के बाहर की शाखाओं द्वारा उधार लेना

- कोई प्राधिकृत व्यापारी (एडी) अपने प्रधान कार्यालय अथवा शाखा या भारत के बाहर किसी कॉरस्पॉन्डेंट या किसी अन्य संस्था से विनिर्दिष्ट सीमा तक उधार ले सकेगा और वह रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर भारत सरकार के परामर्श से विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगा।
- किसी प्राधिकृत व्यापारी (एडी) जो कि भारत में निगमित अथवा गठित बैंक है, की भारत के बाहर की शाखा भारत के बाहर अपने नियमित बैंकिंग कारोबार के दौरान विदेशी मुद्रा में उधार ले सकेगी जो रिज़र्व बैंक एवं देश के विनियामक प्राधिकारी, जहां उसकी शाखा स्थित है, द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों या दिशानिर्देशों के अधीन है।

- iii) कोई प्राधिकृत व्यापारी (एडी) अपने निर्यातक घटकों को पोतलदान के पूर्व या पोतलदान-पश्चात विदेशी मुद्रा में ऋण प्रदान करने के प्रयोजनार्थ भारत के बाहर स्थित किसी बैंक या किसी वित्तीय संस्था से विदेशी मुद्रा में उधार ले सकेगा, बशर्ते इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन हो।
- iv) कोई प्राधिकृत व्यापारी (एडी) अनुसूची-I में निहित प्रावधानों के अनुरूप भारत के बाहर से ईसीबी जुटा सकेगा।

बी. प्राधिकृत व्यापारी के अलावा किसी व्यक्ति द्वारा उधार लेना

- i) पात्र निवासी संस्थाएं अनुसूची-I में निहित प्रावधानों के अनुरूप भारत के बाहर से ईसीबी जुटा सकेंगी।
- ii) आयातकों द्वारा अनुसूची-II में निहित प्रावधानों के अनुरूप डीजीएफटी की वर्तमान विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत यथा अनुमेय पूंजीगत या गैर-पूंजीगत वस्तुओं के आयात हेतु भारत के बाहर से व्यापार ऋण जुटाया जा सकेगा।
- iii) भारत में निवासी कोई व्यक्ति भारत के बाहर स्थित किसी बैंक से, चाहे ऋण या ओवरड्राफ्ट या किसी अन्य ऋण सुविधा के माध्यम से उधार ले सकेगा, जहां वस्तुओं या सेवाओं के निर्यात आस्थगित भुगतान शर्तों या टर्न-की प्रॉजेक्ट या सिविल निर्माण संविदा के निष्पादन के आधार पर किया जाना प्रस्तावित है, बशर्ते जिस प्राधिकारी ने इसके लिए अनुमोदन प्रदान किया है उसके द्वारा नियत शर्तें समय-समय पर संशोधित दिनांक 12 जनवरी 2016 की अधिसूचना सं.फेमा.23(आर)/2015-आरबी के माध्यम से अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात) नियमावली, 2015 के अनुरूप हों।
- iv) भारतीय संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम के तहत स्थापित वित्तीय संस्थान आगे उधार देने के प्रयोजन से भारत सरकार के पूर्वानुमोदन पर विदेशी मुद्रा में उधार जुटा सकते हैं।

स्पष्टीकरण: बाह्य वाणिज्यिक उधार स्वरूप के इस प्रकार के उधार अनुसूची-I में निहित प्रावधानों के अधीन होंगे।

- v) भारत में निवासी कोई व्यक्ति भारत के बाहर के निवासी अपने रिश्तेदारों से 2,50,000/- अमेरिकी डॉलर से अनधिक मूल्य तक अथवा उसके समतुल्य अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए किसी अन्य मूल्य तक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारत सरकार के परामर्श से, समय-समय पर निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन रहते हुए उधार ले सकता है;
- vi) भारत का निवासी कोई व्यक्ति, जो विदेश में पढाई कर रहा है, वह शिक्षा शुल्क के भुगतान के प्रयोजनों और स्वयं के जीवनयापन (मेंटेनेंस) हेतु भारत के बाहर 2,50,000/- अमेरिकी डॉलर से अनधिक मूल्य तक अथवा उसके समतुल्य अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए किसी अन्य मूल्य तक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारत सरकार के परामर्श से समय-समय पर निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन रहते हुए ऋण जुटा सकता है।

5. भारत में निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा में उधार:-

ए. प्राधिकृत व्यापारियों अथवा उनकी भारत के बाहर की शाखाओं द्वारा उधार

- i) प्राधिकृत व्यापारी(एडी) अथवा भारत के बाहर की उसकी शाखा भारत के बाहर के उधारकर्ता को अनुसूची-III में निहित प्रावधानों के अनुसार विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गीकृत ईसीएल प्रदान कर सकते हैं।
- ii) प्राधिकृत व्यापारी (एडी) भारत में अपने घटकों को रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी विवेकपूर्ण मानदंडों, व्याज दर निर्देशों और दिशा-निर्देशों, यदि कोई हो, के अनुपालन के अधीन उनकी विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं को पूरा करने या उनकी रुपया कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं या पूंजीगत व्यय के लिए ऋण प्रदान कर सकता है।
- iii) रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों या दिशा-निर्देशों के अधीन, भारत में प्राधिकृत व्यापारी (एडी) भारत में किसी अन्य प्राधिकृत व्यापारी(एडी) को विदेशी मुद्रा में ऋण प्रदान कर सकता है।
- iv) एडी बैंकों की भारत के बाहर की शाखाएं एनआरई/एफसीएनआर जमा खातों या समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 1 अप्रैल 2016 की अधिसूचना सं. फेमा. 5(आर)/ 2016-आरबी के माध्यम से अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसार अनुरक्षित तथा रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट किसी अन्य खातों में रखी निधियों की जमानत पर विदेशी मुद्रा ऋण प्रदान कर सकते हैं।

बी. प्राधिकृत व्यापारियों से उत्तर व्यक्तियों द्वारा उधार

पात्र निवासी संस्था अनुसूची-III में निहित प्रावधानों के अनुसार भारत के बाहर के उधारकर्ता को विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गीकृत ईसीएल प्रदान कर सकती है।

6. भारत में निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा भारतीय रुपए में उधार:-**ए. प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा उधार**

प्राधिकृत व्यापारी (एडी) अनुसूची-I में निहित प्रावधानों के अनुसार भारत के बाहर से रुपये में मूल्यवर्गीकृत ईसीबी जुटा सकता है।

बी. प्राधिकृत व्यापारी से इतर व्यक्तियों द्वारा उधार

- i) पात्र निवासी संस्थाएं अनुसूची-I में निहित प्रावधानों के अनुसार भारत के बाहर से रुपये में मूल्यवर्गीकृत ईसीबी जुटा सकती हैं।
स्पष्टीकरण: भारत से बाहर निवास करने वाले किसी व्यक्ति को विनिर्दिष्ट समयावधि के अंदर पूरी तरह से और अनिवार्य रूप से इक्विटी में परिवर्तनीय शेयरों को छोड़कर अप्रैल-2007 के 30 वें दिन को या इसके बाद अधिमानी शेयरों के निर्गम के माध्यम से और विनिर्दिष्ट समयावधि के अंदर पूरी तरह से और अनिवार्य रूप से इक्विटी में परिवर्तनीय डिबेंचरों को छोड़कर जून 2007 के 7वें दिन परिवर्तनीय डिबेंचरों के निर्गम के जरिए उधार लेना, कर्ज समझा जाएगा और यह तदनुसार अनुसूची-I में उल्लिखित शर्तों के अनुसार होगा।
- ii) भारत सरकार द्वारा यथापरिभाषित पात्र निवासी संस्थाएं पारदेशीय (ओवरसीज़) बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं/ अंतरराष्ट्रीय विकास वित्तीय संस्थाओं से उधार ले सकती हैं, जहां ऐसी संस्थाओं के निधि स्रोत विदेशों में जारी रुपया मूल्यवर्गीकृत बॉन्ड हैं या घरेलू रूप से जुटाए जाने वाले संसाधन अथवा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य स्रोत है।
- iii) अनुसूची-II में निहित प्रावधानों के अनुसार डीजीएफटी की मौजूदा विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत अनुमत पूंजीगत या गैर-पूंजीगत माल के आयात के लिए आयातकों द्वारा भारतीय रुपये में भारत के बाहर से व्यापार ऋण जुटाया जा सकता है।
- iv) प्रतिभूति के अंतरण अथवा निर्गम के परिणामस्वरूप होने वाले कर्ज-रूपी विदेशी निवेश, जो ऊपर उल्लिखित उप-विनियमों में शामिल नहीं है, के मामले में दिनांक 7 नवंबर 2017 की अधिसूचना सं. फेमा.20 (आर)/ 2017-आरबी के मार्फत अधिसूचित एवं समय-समय पर यथासंशोधित, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2017 की शर्तों का अनुपालन किया जाना चाहिए।
- v) यदि भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति से जमाराशि स्वीकार की जाती है, अथवा दी जाती है, जिसमें ऐसे खातों में धारित धनराशियों की जमानत के समक्ष ऋण/ ओवरड्राफ्ट शामिल है, तो वे समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 1 अप्रैल 2016 की अधिसूचना सं. फेमा. 5(आर)/2016-आरबी के माध्यम से अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) नियमावली, 2016 के अनुरूप होनी चाहिए।
- vi) भारत का निवासी कोई व्यक्ति जो भारत में निगमित कंपनी नहीं है, वह रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर भारत सरकार के परामर्श से विनिर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन एनआरआई/ भारत के बाहर के वे रिश्तेदार, जो ओसीआई कार्ड-धारक हैं, से भारतीय रुपये में उधार ले सकता है। उधारकर्ता को सुनिश्चित करना चाहिए कि उधार ली गई निधियों का उपयोग प्रतिबंधित अंतिम उपयोगों के लिए न हो।

vii) भारतीय संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत स्थापित वित्तीय संस्थान आगे उधार देने के उद्देश्य से भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत के बाहर से रुपये में मूल्यवर्गीकृत उधार जुटा सकते हैं।

स्पष्टीकरण: ऐसे उधार जो ईसीबी के स्वरूप में हैं, वे अनुसूची-1 में निहित प्रावधानों के अधीन होंगे।

7. भारत में निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा रुपये में उधार देना

ए. प्राधिकृत व्यापारी द्वारा उधार देना

- i) भारत में कोई प्राधिकृत व्यापारी (एडी) किसी अनिवासी भारतीय / प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड-धारक को उधारकर्ता की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए/ स्वयं के कारोबारी प्रयोजनों से/ भारत में रिहायशी आवास के अधिग्रहण/ भारत में मोटर वाहन के अधिग्रहण के लिए अथवा प्राधिकृत व्यापारी (एडी) के निदेशक बोर्ड द्वारा निर्धारित ऋण नीति के अनुसार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुपालन में अन्य किसी प्रयोजन के लिए ऋण प्रदान कर सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी बैंक को सुनिश्चित करना चाहिए कि उधार ली गई निधि का उपयोग प्रतिबंधित उद्देश्य के प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता है।
- ii) भारत के बाहर के बैंक द्वारा भारत में प्राधिकृत व्यापारी (एडी) के पास रखे गए रुपया खाते में ओवरड्राफ्ट: कोई प्राधिकृत व्यापारी (एडी), रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्देशित ऐसी शर्तों के अधीन अपनी समुद्रपारीय शाखा अथवा भारत के बाहर के प्रतिनिधि अथवा मुख्य कार्यालय द्वारा उसके पास रखे गए रुपया खातों में से ऐसी राशि, जिसका मूल्य 5 बिलियन रुपये से अधिक नहीं है अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय निर्धारित कोई अन्य मूल्य की राशि के अस्थायी ओवरड्राफ्ट की अनुमति दे सकते हैं।

बी. प्राधिकृत व्यापारी से इतर व्यक्तियों द्वारा उधार देना

- i) भारत में पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी अथवा भारत में पंजीकृत आवास वित्त संस्था अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई कोई अन्य वित्तीय संस्था, रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों के अधीन किसी अनिवासी भारतीय/ प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड-धारक को आवास ऋण अथवा वाहन ऋण प्रदान कर सकती है। उधारकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उधार ली गई निधि का उपयोग प्रतिबंधित अंतिम उपयोग के प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता है।
- ii) कोई भारतीय एंटीटी, रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों के अधीन अपने अनिवासी भारतीय/ प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड-धारक कर्मचारी को स्टाफ कल्याण योजना के अंतर्गत भारतीय रुपये में ऋण प्रदान कर सकती है। उधारकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उधार ली गई निधि का उपयोग प्रतिबंधित अंतिम उपयोग के प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता है।
- iii) कोई निवासी व्यक्ति, रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों के अधीन उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमा के भीतर अनिवासी भारतीय/ प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड-धारक रिश्तेदार को रुपये में ऋण प्रदान कर सकता/ सकती है। उधारकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उधार ली गई निधियों का उपयोग प्रतिबंधित अंतिम उपयोग के प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता है।

8. उधारदाता/ उधारकर्ता की आवासीय स्थिति में हुए परिवर्तन की स्थिति में ऋण को जारी रखना:

- i) कोई प्राधिकृत व्यापारी/ प्राधिकृत बैंक रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की गई शर्तों के अधीन कोई निवासी व्यक्ति, जो बाद में भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति बना है, को प्रदान किए गए ऋणों को जारी रखने की अनुमति दे सकते हैं।
- ii) यदि किसी निवासी व्यक्ति द्वारा अन्य निवासी व्यक्ति को ऋण प्रदान किया गया हो और उधारदाता बाद में अनिवासी हो जाता है तो निवासी उधारकर्ता द्वारा ऋण की चुकौती, उधारदाता के विकल्प पर रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए गए अनुसार भारत में कार्यरत बैंक में रखे गए उधारदाता के एनआरओ खाते में अथवा किसी अन्य खाते में जमा कर के की जानी चाहिए।

- iii) यदि इन विनियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार भारत में निवास करने वाले व्यक्ति को किसी अनिवासी भारतीय/ प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड-धारक द्वारा ऋण दिया गया हो और उधारदाता बाद में निवासी बन जाता है, तो ऋण की चुकौती उधारदाता के विकल्प पर रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए गए अनुसार भारत में कार्यरत बैंक में रखे गए उधारदाता के नामित खाते में कि जाए।
- iv) निवासी व्यक्ति को रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की गई शर्तों तथा सीमाओं के अधीन भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति के रूप में पूर्व में विदेश में लिए गए ऋणों की चुकौती करने की अनुमति दी जाएगी।

9. पूर्व में लागू विनियमों के अंतर्गत लिए गए किसी भी उधार को अनुमत किए गए अनुसार चुकौती की नियत तारीख तक जारी रखा जा सकता है।

[फा. सं. 6/ 1 /2015-ईसीबी]

अजय कुमार मिश्र, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

अनुसूची I

[देखें विनियम 4(ए)(iv), 4(बी)(i), 4(बी)(iv), 6(ए), 6(बी)(i), 6 (बी) (vii)]

भारत के निवासी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर से उधार

पात्र संस्थाएं इस अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार भारत के बाहर से बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) जुटा सकते हैं।

1. उधार की मुद्रा

ईसीबी किसी भी मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा तथा भारतीय रुपये में अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा भारत सरकार के साथ परामर्श कर विनिर्दिष्ट की गई किसी अन्य मुद्रा में जुटाई जा सकती है।

2. प्रकार/ स्वरूप

ईसीबी को रिज़र्व बैंक द्वारा भारत सरकार के साथ परामर्श से निर्धारित किए गए स्वरूप में जुटाया जा सकता है। वर्तमान में ईसीबी में शामिल बैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर जैसी कुछ संकर लिखतें, सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद विशिष्ट संकर लिखत विनियमों द्वारा शासित होंगी।

3. उधारकर्ताओं की पात्रता

स्टार्ट-अप सहित सभी संस्थाएं समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 7 नवंबर 2017 की अधिसूचना सं. फेमा. 20(आर)/2017-आरबी के माध्यम से अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति के अंतरण अथवा निर्गम) नियमावली, 2017 के अनुसार स्वचालित मार्ग के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। साथ ही, रिज़र्व बैंक, भारत सरकार के परामर्श से, कुछ अन्य संस्थाएं/ क्षेत्र निर्दिष्ट कर सकता है, जो ईसीबी जुटाने के लिए पात्र हैं अथवा पात्रता के विद्यमान मानदंडों में संशोधन कर सकता है।

4. परिपक्वता

न्यूनतम औसत परिपक्वता 3 वर्ष की होगी। तथापि, रिज़र्व बैंक, भारत सरकार के परामर्श से कुछ क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाओं द्वारा जुटाई गई ईसीबी अथवा किसी विशिष्ट राशि की ईसीबी, अथवा विशिष्ट अंतिम उपयोग अथवा कुछ मान्यताप्राप्त उधारदाताओं से उधार लेने के लिए न्यूनतम औसत परिपक्वता शर्त निर्धारित कर सकता है।

5. उधारदाता :

उधारदाता ईसीबी नीति में दिए गए अनुसार एफ़एटीएफ़ अथवा आईओएससीओ का अनुपालन करने वाले देश का निवासी होना चाहिए, ईसीबी के अंतरण पर भी यही शर्त लागू होगी। तथापि बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाएं, जहां भारत एक सदस्य देश है, को भी मान्यताप्राप्त उधारदाता समझा जाएगा। साथ ही रिज़र्व बैंक, भारत सरकार के साथ परामर्श कर अनुसूची के अंतर्गत किसी अन्य उधारदाता/ उधारदाताओं के सेट को निर्दिष्ट करेगा अथवा विद्यमान प्रावधानों को संशोधित करेगा।

स्पष्टीकरण: भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं/ सहायक संस्थाओं को केवल विदेशी मुद्रा में जुटाए गए ईसीबी के लिए मान्यताप्राप्त उधारदाता के रूप में अनुमति दी गई है।

6. समग्र लागत

i. विदेशी मुद्रा में जुटाई गई ईसीबी के लिए 6 महीने के लिबोर के बेंचमार्क अथवा संबंधित मुद्रा के लिए यथा लागू बेंचमार्क से अतिरिक्त अधिकतम स्प्रेड 450 आधार अंक प्रति वर्ष अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा भारत सरकार के साथ परामर्श कर निर्धारित किए गए अनुसार होगा।

ii. भारतीय रुपये में जुटाई गई ईसीबी के लिए अधिकतम स्प्रेड तदनुसारी परिपक्वता वाली भारत सरकार की प्रतिभूतियों के प्रचलित प्रतिफल के अतिरिक्त 450 आधार अंक प्रति वर्ष अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा भारत सरकार के साथ परामर्श कर निर्धारित किए गए अनुसार होगा।

7. अंतिम उपयोग

अनुसूची के अनुसरण में भारत के बाहर से जुटाए गए उधार की राशियों का उपयोग रिज़र्व बैंक द्वारा भारत सरकार के परामर्श से, विनिर्दिष्ट की गई नकारात्मक अंतिम-उपयोग की सूची में शामिल गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है।

8. उधार लेने की व्यक्तिगत सीमाएं

सभी पात्र उधारकर्ता/ उधारकर्ताओं की श्रेणियाँ प्रति वित्तीय वर्ष 750 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य राशि तक ईसीबी जूटा सकते हैं। स्टार्ट-अप्स के लिए यह राशि 3 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य राशि तक सीमित रहेगी। तथापि रिज़र्व बैंक, भारत सरकार के साथ परामर्श कर विशिष्ट क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाओं द्वारा अथवा विशिष्ट अंतिम उपयोग के लिए जुटाई गई ईसीबी के लिए उच्चतर सीमाएं निर्धारित कर सकता है। उक्त व्यक्तिगत सीमाएं रिज़र्व बैंक द्वारा भारत सरकार के साथ परामर्श कर समीक्षा के अधीन होंगी।

9. जमानत

इस अनुसूची के अंतर्गत आने वाले उधारकर्ता रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार इन विनियमों के तहत अथवा अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए किसी अन्य विनियम के अनुसार उधारदाता/ आपूर्तिकर्ता को जमानत प्रदान कर सकते हैं। उधारकर्ता, उधार लेने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन जमानत के रूप में कॉर्पोरेट और/अथवा व्यक्तिगत गारंटी भी प्रदान कर सकते हैं। तथापि, रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित की गई विशिष्ट शर्तों को छोड़कर, बैंक, वित्तीय संस्थाएं तथा गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियाँ, इस अनुसूची के अंतर्गत अपने घटकों द्वारा लिए गए उधार के लिए उनकी ओर से पारदेशीय (ओवरसीज़) उधारदाता के पक्ष में किसी भी प्रकार की गारंटी प्रदान (जारी) नहीं करेंगे।

10. ऋण की राशि की विदेश में पार्किंग।

इस अनुसूची के अंतर्गत लिए गए उधार से प्राप्त निधियों को अनुमत अंतिम उपयोग के लिए उपयोग में लाए जाने तक रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार विदेश में अथवा भारत में पार्क किया जा सकता है।

11. ऋण का आहरण

इस अनुसूची के अंतर्गत उधार ली गई निधियों में से आहरण रिज़र्व बैंक द्वारा स्थापित प्रणाली के अनुसार रिज़र्व बैंक से अथवा प्राधिकृत व्यापारी(एडी) से ऋण पंजीकरण संख्या प्राप्त करने के बाद ही किया जाएगा। इसका अनुपालन नहीं करने पर उधारकर्ता को रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट दंड का भुगतान करना पड़ सकता है।

बशर्ते यह कि उपर्युक्त के अनुसार दंड का भुगतान नहीं करने को उल्लंघन माना जाएगा तथा अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में दिए गए अनुसार कंपाउंडिंग अथवा न्याय निर्णयन के अधीन होगा।

12. रिपोर्टिंग

उधारकर्ता, रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की गई रिपोर्टिंग क्रियाविधि का अनुपालन करेगा। इसका अनुपालन नहीं करने पर उधारकर्ता को रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट दंड का भुगतान करना पड़ सकता है।

बशर्ते यह कि उपर्युक्त के अनुसार दंड का भुगतान नहीं करने को उल्लंघन माना जाएगा तथा अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में दिए गए अनुसार कंपाउंडिंग अथवा न्याय निर्णयन के अधीन होगा।

13. ऋण कि चुकौती

नामित प्राधिकृत व्यापारी (एडी) को इस अनुसूची के अंतर्गत उधार लेने संबंधी दिशानिर्देशों के अनुरूप मूल धन, ब्याज, तथा अन्य प्रभारों का विप्रेषण करने की सामान्य अनुमति होगी।

14. हेजिंग

रिज़र्व बैंक, भारत सरकार के साथ परामर्श कर इस अनुसूची के अंतर्गत उधार लेने संबंधी हेजिंग अपेक्षाओं को निर्धारित करेगा।

15. ईसीबी जुटाने के लिए उपलब्ध मार्ग

सभी ईसीबी स्वचालित मार्ग के अंतर्गत जुटाई जा सकती हैं यदि वे इस अनुसूची के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों के अनुरूप हैं और विनिर्दिष्ट रिपोर्टिंग शर्तों के अधीन हैं। सभी अन्य मामलों पर आरबीआई द्वारा अनुमोदन मार्ग के तहत विचार किया जाएगा।

अनुसूची II**[देखें विनियम 4(बी)(ii), तथा 6(बी)(iii)]****आयात के लिए व्यापारिक ऋण**

आयातक इस अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार भारत के बाहर से व्यापारिक उधार जुटा सकते हैं।

1. प्रयोजन

इस प्रकार के ऋण रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों के अधीन डीजीएफ़टी की विद्यमान विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत अनुमत किए गए अनुसार गैर-पूंजीगत तथा पूंजीगत वस्तुओं के आयात के प्रयोजन से तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईज़ेड) के भीतर अथवा किसी भिन्न एसईज़ेड से गैर-पूंजीगत तथा पूंजीगत वस्तुओं की खरीद के लिए जुटाए जा सकते हैं।

स्पष्टीकरण : एसईज़ेड का तात्पर्य एसईज़ेड अधिनियम, 2005 में दी गई परिभाषा से है।

2. उधार लेने की मुद्रा

व्यापारिक ऋण किसी भी मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा तथा भारतीय रुपये में अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा भारत सरकार के साथ परामर्श कर निर्दिष्ट की गई किसी अन्य मुद्रा में जुटाया जा सकता है।

3. उधार की राशि

आयातक पूंजीगत तथा गैर-पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए प्रति आयात लेनदेन 50 मिलियन की समतुल्य राशि अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा भारत सरकार के साथ परामर्श कर निर्धारित की गई कोई अन्य राशि तक व्यापारिक उधार जुटा सकते हैं।

4. अवधि

व्यापारिक ऋण की अवधि जिसकी गणना पोतलदान की तारीख से की जाएगी, निम्नानुसार होगी:

i. गैर-पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए- किन्हीं वस्तुओं के आयात के लिए / किसी विशिष्ट क्षेत्र द्वारा आयात के लिए परिचालन चक्र से संलग्न तथा एक वर्ष की अधिकतम अवधि, अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित अवधि।

ii. पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए: तीन वर्ष की अधिकतम अवधि अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित अवधि।

5. मान्यताप्राप्त उधारदाता

भारत में पारदेशीय (ओवरसीज़) आपूर्तिकर्ता, बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं, विदेशी इक्विटी धारक तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों (आईएफ़एससी) में वित्तीय संस्थाएं अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा भारत सरकार के साथ परामर्श कर निर्धारित की गई कोई अन्य एंटीटी।

6. लागत:

i. विदेशी मुद्रा में व्यापारिक उधार के लिए 6 महीने के लिबोर के बेंचमार्क अथवा संबंधित मुद्रा के लिए यथालागू बेंचमार्क से अतिरिक्त अधिकतम स्प्रेड होगा 250 आधार अंक प्रति वर्ष अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा भारत सरकार के साथ परामर्श कर निर्धारित किए गए अनुसार।

ii. रुपये में मूल्यवर्गीकृत व्यापारिक ऋण के लिए समग्र लागत प्रचलित बाज़ार परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए अथवा वह रिज़र्व बैंक द्वारा भारत सरकार के साथ परामर्श कर निर्धारित किए गए अनुसार हो।

7. जमानत तथा गारंटी

इस अनुसूची के अंतर्गत आने वाले उधारकर्ता रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार इन विनियमों के तहत अथवा अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए किसी अन्य विनियम के अनुसार उधारदाता/ आपूर्तिकर्ता को जमानत प्रदान कर सकते हैं। उधारकर्ता, उधार लेने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन जमानत के रूप में कॉर्पोरेट तथा/ अथवा व्यक्तिगत गारंटी भी प्रदान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एडी श्रेणी-1 बैंकों को समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ता, बैंक तथा

वित्तीय संस्था के पक्ष में बैंक गारंटी जारी करने की अनुमति है लेकिन उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि आधारभूत (अंडरलाइंग) आयात/ व्यापारिक ऋण, मौजूदा मानदंडों का अनुपालन करता है।

8. रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाएँ

रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षा तथा क्रियाविधि रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगी।

अनुसूची III

[देखें विनियम 5(ए)(i), तथा 5(बी)]

भारत के निवासी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर के उधारकर्ताओं को उधार देना

पात्र संस्थाएं इस अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार भारत के बाहर के उधारकर्ताओं को बाह्य वाणिज्यिक ऋण (ईसीएल) प्रदान कर सकते हैं।

1. भारत में कोई प्राधिकृत व्यापारी(एडी) समय-समय पर यथा संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 के अनुसार किसी विदेशी संस्था, जिसमें किसी भारतीय संस्था ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है, को विदेशी मुद्रा में बाह्य वाणिज्यिक ऋण (ईसीएल) प्रदान कर सकता है।
2. भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाएँ भारत के बाहर अपने बैंकिंग कारोबार के सामान्य क्रम में विदेशी मुद्रा ऋण प्रदान कर सकते हैं।
3. समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं. फेमा. 120/ आरबी- 2004 के माध्यम से अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) नियमावली, 2004 के अंतर्गत कोई पात्र संस्था किसी विदेशी संस्था, जिसमें उसने उक्त विनियमों के अनुसार प्रत्यक्ष निवेश किया है, को विदेशी मुद्रा में उधार दे सकती है।
4. भारत में निवास करने वाला कोई व्यक्ति समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा भारत सरकार के परामर्श से निर्धारित की गई शर्तों के अधीन अपने समुद्रपारीय आयातक ग्राहक को व्यापार से संबंधित प्रयोजनों से अपने ईईएफ़सी खाते में धारित निधियों में से विदेशी मुद्रा में उधार दे सकता है।
5. भारतीय कंपनियाँ अपनी भारत के बाहर की शाखाओं के कर्मचारियों को व्यक्तिगत प्रयोजनों से विदेशी मुद्रा में ऋण प्रदान कर सकती हैं बशर्ते व्यक्तिगत प्रयोजनों से प्रदान किया गया ऋण उधारदाता की स्टाफ कल्याण योजना/ऋण नियमावली तथा भारत तथा विदेश में निवासी स्टाफ पर यथालागू अन्य शर्तों के अनुसार होगा।

RESERVE BANK OF INDIA

(FOREIGN EXCHANGE DEPARTMENT)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 17th December, 2018

No. FEMA 3(R)/2018-RB

Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending) Regulations, 2018

G.S.R. 1213(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (a), (d) and (e) of Sub-Section (3) of Section 6, sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in supersession of Notification No. FEMA. 3/2000-RB dated May 3, 2000, as amended from time to time, Notification No. FEMA. 4/2000-RB dated May 3, 2000, as amended from time to time and Regulation 21 of Notification No. FEMA. 120/RB-2004 dated July 7, 2004 as amended from time to time, the Reserve Bank makes the following regulations for borrowing and lending between a person resident in India and a person resident outside India, namely:

1. Short Title and Commencement: -

- i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending) Regulations, 2018.
- ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions: -

In these regulations, unless the context otherwise requires -

- i) “Act” means the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999);
- ii) “Authorised Dealer (AD)” means a person authorised as an Authorised Dealer under sub-section (1) of section 10 of the Act;
- iii) “EEFC Account”, “RFC Account” shall have the same meaning as assigned to them respectively in the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a person resident in India) Regulations, 2015, as amended from time to time;
- iv) “External Commercial Borrowings (ECB)” means borrowing by an eligible resident entity from outside India in accordance with framework decided by the Reserve Bank in consultation with the Government of India;
- v) “External Commercial Lending (ECL)” means lending by a person resident in India to a borrower outside India in accordance with framework decided by the Reserve Bank in consultation with the Government of India
- vi) “Foreign Exchange” shall have the same meaning assigned to it in the Act;
- vii) “Foreign branches/subsidiaries of the Indian banks” means entities established overseas in terms of provisions contained in the Banking Regulation Act, 1949, as amended from time to time;
- viii) 'Authorised Bank', 'Non-resident Indian (NRI)', 'FCNR (B) Account', 'NRO Account', and 'NRE Account' shall have the same meanings as assigned to them respectively in the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016, as amended from time to time;
- ix) “Housing Finance Institution” and “National Housing Bank” shall have the same meaning as assigned to them in the National Housing Bank Act, 1987, as amended from time to time;
- x) “Indian Entity” means a company incorporated in India under the Companies Act, 2013, as amended from time to time, or a Limited Liability Partnership formed and registered in India under the Limited Liability Partnership Act, 2008, as amended from time to time;
- xi) “Overseas Citizen of India (OCI)” Cardholder shall have the same meaning as assigned to it under Section 7(A) of the Citizenship Act, 1955, as amended from time to time;
- xii) “Real Estate Activity” means any activity involving own or leased property for buying, selling and renting of commercial and residential properties or land and also includes activities either on a fee or contract basis assigning real estate agents for intermediating in buying, selling, letting or managing real estate. However, this would not include development of integrated township, purchase/ long term leasing of industrial land as part of new project/modernisation or expansion of existing units or any activity under ‘infrastructure sub-sectors’ as given in the Harmonised Master List of Infrastructure sub-sectors approved by the Government of India vide Notification F. No. 13/06/2009-INF, as amended/ updated from time to time;
- xiii) “Relative” shall have the same meaning as assigned to it in the Companies Act, 2013, as amended from time to time;
- xiv) “Restricted End Uses” shall mean end uses where borrowed funds cannot be deployed and shall include the following:
 - a) In the business of chit fund or Nidhi Company;
 - b) Investment in capital market including margin trading and derivatives;
 - c) Agricultural or plantation activities;
 - d) Real estate activity or construction of farm houses; and
 - e) Trading in Transferrable Development Rights (TDR), where TDR shall have the meaning as assigned to it in the Foreign Exchange Management (Permissible Capital Account Transactions) Regulations, 2015.
- xv) “Schedule” means the Schedule to these Regulations;
- xvi) “Start-up” means an entity which complies with the conditions laid down in Notification No. G.S.R 180(E) dated February 17, 2016, as amended/ updated from time to time, issued by Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Government of India;

- xvii) “Trade Credit” refer to the credits extended by the overseas supplier, bank /financial institution for imports into India in accordance with the Trade Credit framework decided by the Reserve Bank in consultation with the Government of India;

Explanation: Depending on the source of finance, such trade credits include both suppliers’ credit and buyers’ credit. Suppliers’ credit relates to the credit for imports into India extended by the overseas supplier, while buyers’ credit refers to loans for payment of imports into India arranged by the importer from overseas bank or financial institution. Imports should be as permissible under the extant Foreign Trade Policy of the Director General of Foreign Trade (DGFT).

- xviii) The words and expressions used but not defined in these Regulations shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Prohibition to Borrow or Lend: -

Save as otherwise provided in the Act, Rules or Regulations made thereunder, no person resident in India shall borrow or lend in foreign exchange from or to a person resident in or outside India and no person resident in India shall borrow in rupees from, or lend in rupees to, a person resident outside India:

Provided that the Reserve Bank may, for sufficient reasons, permit a person resident in India to borrow or lend in foreign exchange from or to a person resident in or outside India and/or permit a person resident in India to borrow in rupees from, or lend in rupees to, a person resident outside India.

Explanation: Use of Credit Card (a) in India by a person resident outside India or (b) outside India by a person resident in India shall not be deemed as borrowing or lending in Indian Rupee/foreign exchange.

4. Borrowing from outside India in Foreign Exchange by a Person Resident in India: -

A. Borrowing by an Authorised Dealer or its branch outside India

- i) An AD may borrow from its Head Office or branch or correspondent outside India or any other entity up to limit specified and subject to terms and conditions as specified by the Reserve Bank from time to time, in consultation with Government of India.
- ii) A branch outside India of an AD being a bank incorporated or constituted in India, may borrow in foreign exchange in the normal course of its banking business from outside India, subject to the directions or guidelines issued by the Reserve Bank from time to time, and the Regulatory Authority of the country where the branch is located.
- iii) An AD may borrow in foreign exchange from a bank or a financial institution outside India, for the purpose of granting pre-shipment or post-shipment credit in foreign exchange to its exporter constituent, subject to compliance with the guidelines issued by the Reserve Bank in this regard.
- iv) An AD may raise ECB from outside India in accordance with the provisions contained in Schedule I.

B. Borrowing by Persons other than Authorised Dealers

- i) Eligible resident entities may raise ECB from outside India in accordance with the provisions contained in Schedule I.
- ii) Trade Credit may be raised from outside India by importers for import of capital or non-capital goods as permissible under the extant Foreign Trade Policy of the DGFT in accordance with the provisions contained in Schedule II.
- iii) A person resident in India may borrow, whether by way of loan or overdraft or any other credit facility, from a bank situated outside India, where export of goods or services is proposed to be made on deferred payment terms or in execution of a turnkey project or a civil construction contract, provided the terms and conditions stipulated by the authority which has granted the approval to the arrangement are in accordance with the Foreign Exchange Management (Export of goods and services) Regulations, 2015, notified vide Notification No. FEMA.23(R)/2015-RB dated January 12, 2016, as amended from time to time.
- iv) Financial Institutions, set up under an Act of the Indian Parliament, may raise foreign exchange borrowings with the prior approval of the Government of India for the purpose of onward lending.

Explanation: Such borrowings, which are in the nature of ECB, shall be subject to provisions contained in Schedule I.

- v) An individual resident in India may borrow a sum not exceeding USD 250,000/- or its equivalent, or any other amount as decided by the Reserve Bank from time to time, from his/her relatives outside India and

subject to such terms and conditions as specified by the Reserve Bank from time to time in consultation with the Government of India.

- vi) An individual resident in India studying abroad may raise loan outside India not exceeding USD 250,000/- or its equivalent, or any other amount as decided by the Reserve Bank from time to time, for the purposes of payment of education fees abroad and maintenance subject to terms and conditions as specified by the Reserve Bank from time to time in consultation with the Government of India.

5. Lending in Foreign Exchange by a Person Resident in India: -

A. Lending by an Authorised Dealer in India or its branch outside India

- i. An AD in India or its branch outside India may extend foreign currency denominated ECL to a borrower outside India in accordance with the provisions contained in Schedule III.
- ii. An AD may grant loans to its constituents in India for meeting their foreign exchange requirements or for their rupee working capital requirements or capital expenditure subject to compliance with prudential norms, interest rate directives and guidelines, if any, issued by Reserve Bank in this regard.
- iii. Subject to the directions or guidelines issued by the Reserve Bank from time to time, an AD in India may extend foreign exchange loans to another AD in India.
- iv. Branches outside India of AD banks may extend foreign exchange loans against the security of funds held in NRE/ FCNR deposit accounts or any other account as specified by the Reserve Bank from time to time, maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016, notified vide Notification No. FEMA 5(R)/2016-RB dated April 1, 2016, as amended from time to time.

B. Lending by persons other than Authorised Dealer

Eligible resident entity may extend foreign currency denominated ECL to a borrower outside India in accordance with the provisions contained in Schedule III.

6. Borrowing in Indian Rupees by a Person Resident in India: -

A. Borrowing by an Authorised Dealer

An AD may raise Rupee denominated ECB from outside India in accordance with the provisions contained in Schedule I.

B. Borrowing by persons other than Authorised Dealer

- i. Eligible resident entities may raise Rupee denominated ECB from outside India in accordance with the provisions contained in Schedule I.
- ii. Eligible resident entities, as defined by the Government of India, may borrow from overseas Multilateral Financial Institutions/International Development Financial Institutions, where the source of funds of such institutions is Rupee denominated bonds issued overseas or resources raised domestically, or any other source as approved by the Government of India.
- iii. Trade Credit may be raised from outside India in Indian Rupees by importers for import of capital or non-capital goods as permissible under the extant Foreign Trade Policy of the DGFT in accordance with the provisions contained in Schedule II.
- iv. Any foreign investment in the nature of debt arising out of transfer or issue of security, not covered under the above sub-regulations, should be in compliance with Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2017, notified vide Notification No. FEMA 20(R)/ 2017-RB dated November 07, 2017, as amended from time to time.
- v. Any person resident in India accepting any deposit from, or making any deposit with, a person resident outside India, including loans/ overdrafts against security of funds held in such accounts, should be in compliance with Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016, notified vide Notification No. FEMA 5(R)/2016-RB dated April 1, 2016, as amended from time to time.
- vi. A person resident in India, not being a company incorporated in India, may borrow in Indian Rupees from a NRI/Relatives who are OCI Cardholders outside India, subject to such terms and conditions as specified by the Reserve Bank from time to time in consultation with the Government of India. The borrower should ensure that the borrowed funds are not used for restricted end uses.

- vii. Financial Institutions, set up under an Act of the Indian Parliament, may raise Rupee denominated borrowings from outside India with the prior approval of the Government of India for the purpose of onward lending.

Explanation: Such borrowings which are in the nature of ECBs shall be subject to provisions contained in Schedule I.

7. Lending in Indian Rupees by a Person Resident in India: -

A. Lending by an Authorised Dealer

- i) An AD in India may grant loan to a NRI/OCI Cardholder for meeting the borrower's personal requirements/own business purposes/acquisition of a residential accommodation in India/ acquisition of motor vehicle in India / or for any purpose as per the loan policy laid down by the Board of Directors of the AD and in compliance with prudential guidelines of Reserve Bank of India. The AD bank should ensure that the borrowed funds are not used for restricted end uses.
- ii) Overdraft in rupee account maintained with AD in India by a bank outside India: An AD may permit a temporary overdraft, for value not exceeding Rupees 5 billion or any other amount as prescribed by the Reserve Bank from time to time, in rupee accounts maintained with it by its overseas branch or correspondent or Head Office outside India, subject to such terms and conditions as the Reserve Bank may direct from time to time.

B. Lending by persons other than Authorised Dealer

- i) A registered non-banking financial company in India or a registered housing finance institution in India or any other financial institution as may be specified by the Reserve Bank from time to time, may provide housing loan or vehicle loan, as the case may be, to a NRI/OCI Cardholder subject to such terms and conditions as prescribed by the Reserve Bank from time to time. The borrower should ensure that the borrowed funds are not used for restricted end uses.
- ii) An Indian entity may grant loan in Indian Rupees to its employee who is a NRI/OCI Cardholder in accordance with the Staff Welfare Scheme subject to such terms and conditions as prescribed by the Reserve Bank from time to time. The borrower should ensure that the borrowed funds are not used for restricted end uses.
- iii) A resident individual may grant Rupee loan to a NRI/OCI Cardholder relative within the overall limit under the Liberalised Remittance Scheme subject to such terms and conditions as prescribed by the Reserve Bank from time to time. The borrower should ensure that the borrowed funds are not used for restricted end uses.

8. Continuation of loan in the event of change in the residential status of the lender/borrower:

- i) An authorised dealer/authorised bank, may allow continuance of loans granted to a resident individual who subsequently becomes a person resident outside India, subject to such terms and conditions as specified by the Reserve Bank from time to time.
- ii) In case a loan was granted by a resident individual to another resident individual and the lender subsequently becomes a non-resident, the repayment of the loan by the resident borrower should be made by credit to the NRO account or any other account of the lender maintained with a bank in India as specified by the Reserve Bank from time to time, at the option of the lender.
- iii) In case a loan was granted by a NRI/OCI Cardholder to a person resident in India in accordance with the provisions contained in these regulations and the lender subsequently becomes a resident, the repayment of the loan may be made to the designated account of the lender maintained with a bank in India as specified by the Reserve Bank from time to time, at the option of the lender.
- iv) A resident individual will be permitted to service loans taken overseas earlier as a person resident outside India subject to terms and conditions and limit as specified by the Reserve Bank from time to time.

9. Any borrowing under erstwhile regulations can be continued as permitted up to the due date of repayment.

[F. No. 6/1/2015-ECB]

AJAY KUMAR MISRA, Chief General Manager-in-Charge

SCHEDULE I**[See Regulations 4(A)(iv), 4(B)(i), 4(B)(iv), 6(A), 6(B)(i), 6(B)(vii)]****Borrowings from outside India by a person resident in India**

Eligible entities may raise External Commercial Borrowings (ECB) from outside India in accordance with the provisions contained in this Schedule.

1. Currency of borrowing

ECB can be raised in any freely convertible foreign currency as well as in Indian Rupees or any other currency as specified by the Reserve Bank in consultation with the Government of India.

2. Forms

ECB can be raised in the forms as prescribed by the Reserve Bank in consultation with the Government of India. Certain hybrid instruments, such as optionally convertible debentures, presently covered under ECB, would be governed by specific hybrid instruments' Regulations when notified by the Government of India.

3. Eligibility of borrowers

All entities eligible to receive foreign direct investment, in terms of Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2017, notified vide Notification No. FEMA 20(R)/ 2017-RB dated November 07, 2017, as amended from time to time, including Start-ups. Further, Reserve Bank, in consultation with the Government of India may specify any other entity/sector eligible to raise ECBs or amend the existing eligibility norms.

4. Maturity

Minimum average maturity will be 3 years. However, Reserve Bank, in consultation with Government of India may prescribe minimum average maturity stipulation for ECBs raised by entities in certain sectors or for certain amount of ECB or for certain end uses or for borrowing from certain recognised lenders.

5. Lenders:

The lender should be resident of FATF or IOSCO compliant country as defined in the ECB policy, including on transfer of ECBs. However, Multilateral and Regional Financial Institutions where India is a member country will also be considered as recognised lenders. Further, Reserve Bank, in consultation with the Government of India may specify any other lender/set of lenders under the schedule or amend the existing provisions.

Explanation: Foreign branches / subsidiaries of Indian banks are permitted as recognised lenders only for ECBs raised in foreign exchange.

6. All-in-cost

- i. For ECBs raised in foreign exchange, the maximum spread over the benchmark of 6-month LIBOR or applicable benchmark for the respective currency will be 450 basis points per annum or as prescribed by the Reserve Bank in consultation with the Government of India.
- ii. For ECBs raised in Indian Rupees, the maximum spread will be 450 basis points per annum over the prevailing yield of the Government of India securities of corresponding maturity or as prescribed by the Reserve Bank in consultation with the Government of India.

7. End-uses

The proceeds of borrowing raised from outside India in terms of this Schedule can be used for all purposes except for those activities prescribed in the negative end-use list by the Reserve Bank in consultation with the Government of India.

8. Individual Limits of borrowing

All eligible borrowers/category of borrowers may raise ECB of up to USD 750 million or equivalent per financial year. For Startups the amount would be limited to USD 3 million or equivalent per financial year. However, Reserve Bank, in consultation with Government of India may prescribe higher limits for ECBs raised by entities in certain sectors or for certain end uses. The said individual limits may be subject to review by the Reserve Bank in consultation with the Government of India.

9. Security

The borrower covered in this Schedule may provide security to the lender / suppliers, as specified by the Reserve Bank from time to time in terms of these regulations or under any other Regulations framed under the Act. The borrower may

also provide corporate and / or personal guarantee as security for the borrowing, subject to terms and conditions as specified by the Reserve Bank from time to time. However, banks, financial institutions and Non-Banking Finance Companies shall not provide (issue) any type of guarantee in favour of overseas lender on behalf of their constituents for their borrowings under this Schedule, except in accordance with specific stipulations made by the Reserve Bank.

10. Parking of loan amount abroad

The proceeds of borrowings under this Schedule may, pending utilisation for permissible end-uses, be parked abroad or in India as per the directions issued by the Reserve Bank from time to time.

11. Drawal of Loan

Draw-downs of borrowing under this Schedule shall be made only after obtaining the loan registration number from the Reserve Bank or from the ADs, as per the system put in place by the Reserve Bank. For non-adherence, the borrower may be required to pay penalty as specified by the Reserve Bank from time to time.

Provided that non-payment of penalty as above shall be treated as a contravention and shall be subject to compounding or adjudication as provided in the Act or Rules framed thereunder.

12. Reporting

The borrower shall adhere to the reporting procedure as specified by the Reserve Bank from time to time. For non-adherence, the borrower may be required to pay penalty as specified by the Reserve Bank from time to time.

Provided that non-payment of penalty as above shall be treated as a contravention and shall be subject to compounding or adjudication as provided in the Act or Rules framed thereunder.

13. Debt Servicing

The designated AD shall have the general permission to make remittances of principal, interest and other charges in conformity with the guidelines on borrowing under this Schedule.

14. Hedging

Reserve Bank, in consultation with the Government of India, may stipulate hedging requirements for borrowings under this schedule.

15. Available routes for raising ECB

All ECBs can be raised under the automatic route if it conforms to the parameters prescribed under this Schedule and subject to specified reporting conditions. All other cases will be considered by RBI under the approval route.

SCHEDULE II

[See Regulations 4(B)(ii) & 6(B)(iii)]

Trade Credit for Imports

Importers may raise trade credits from outside India in accordance with the provisions contained in this Schedule.

1. Purpose

Trade Credits can be raised for the purpose of import of non-capital and capital goods as permitted under the extant Foreign Trade Policy of the DGFT and for purchase of non-capital and capital goods within a Special Economic Zone (SEZ) or from a different SEZ subject to terms and conditions as stipulated by the Reserve Bank from time to time.

Explanation: SEZ is as defined in the SEZ Act, 2005.

2. Currency of borrowing

Trade credits can be raised in any freely convertible foreign currency as well as in Indian Rupees or any other currency as specified by the Reserve Bank in consultation with the Government of India.

3. Amount of borrowing

Importers can raise trade credit up to 50 million equivalent per import transaction for import of capital or non-capital goods or any other amount as decided by the Reserve Bank in consultation with the Government of India.

4. Period

The period of trade credit reckoned from the date of shipment shall be as under:

- i. For import of non-capital goods – Maximum period of up to one year and linked with the operating cycle, or for a period as per the guidelines issued by the Reserve Bank from time to time for any import of any goods / for import by any specific sector.

- ii. For import of capital goods – Maximum period of three years or for a period as per the guidelines issued by the Reserve Bank from time to time.

5. Recognised Lenders

Overseas suppliers, banks and other financial institutions, foreign equity holders and financial institutions in International Financial Services Centres (IFSCs) in India or any other entities as decided by the Reserve Bank in consultation with the Government of India.

6. Cost:

- i. For trade credits in foreign exchange, the maximum spread over the benchmark of 6-month LIBOR or applicable benchmark for the respective currency will be 250 basis points per annum or as prescribed by the Reserve Bank in consultation with the Government of India.
- ii. For Rupee denominated trade credit, the all-in-cost shall be commensurate with prevailing market conditions or as prescribed by the Reserve Bank in consultation with the Government of India.

7. Security and guarantee

The borrower covered in this Schedule may provide security to the lender / suppliers, as specified by the Reserve Bank from time to time in terms of these regulations or under any other Regulations framed under the Act. The borrower may also provide corporate and / or personal guarantee as security for the borrowing subject to terms and conditions as specified by the Reserve Bank from time to time. Further, AD Category I banks are permitted to issue bank guarantees in favour of overseas supplier, bank or financial institution duly ensuring the underlying import /trade credit complies with extant norms.

8. Reporting requirements

The reporting requirement and procedure will be as specified by the Reserve Bank from time to time.

SCHEDULE III

[See Regulations 5(A)(i), 5(B)]

Lending to borrowers outside India by a person resident in India

Eligible entities may extend External Commercial Lending (ECL) to borrowers outside India in accordance with the provisions contained in this Schedule.

1. An AD in India may extend External Commercial Lending (ECL) in foreign exchange to a foreign entity in which an Indian entity has made overseas direct investment in accordance with Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security) Regulations, 2004, as amended from time to time.
2. Foreign branches of the Indian banks may extend foreign exchange loans in the normal course of their banking business outside India.
3. An eligible entity, as defined under Foreign Exchange (Transfer or Issue of any Foreign Security) Regulations, 2004, notified vide Notification No.FEMA.120/RB-2004 dated July 7, 2004, as amended from time to time, may lend in foreign exchange to a foreign entity in which it has made direct investment in accordance with the provisions under the said regulations.
4. A person resident in India may lend in foreign exchange out of funds held in his/her EEFC account, for trade related purposes to his/her overseas importer customer subject to such terms and conditions as stipulated by the Reserve Bank of India from time to time in consultation with Government of India.
5. Indian companies may grant loans in foreign exchange to the employees of their branches outside India for personal purposes provided that the loan shall be granted for personal purposes in accordance with the lender's Staff Welfare Scheme / Loan Rules and other terms and conditions as applicable to its staff resident in India and abroad.